



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 984]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 2019/फाल्गुन 11, 1940

No. 984]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 2019/PHALGUNA 11, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2019

**का.आ.1118(अ).**—केंद्रीय सरकार, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अध्यादेश कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के साथ पठित उक्त अध्यादेश की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अध्यादेश की धारा 7 के प्रयोजनों के लिए 2 मार्च, 2019 को विनिर्दिष्ट तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा.सं.ए-60011/34/2019-प्रशा.III(वि.का.)]

डॉ. राजीव मणि, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2019

**S.O.1118(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (1) of section 2 of the New Delhi International Arbitration Centre Ordinance, 2019 (Ord. 10 of 2019) (hereafter in this notification referred to as the said Ordinance) read with section 7 of the said Ordinance, the Central Government hereby specifies the 2<sup>nd</sup> day of March, 2019 as the specified date for the purposes of section 7 of the said Ordinance.

[F. No. A-60011/34/2019-Admn.III(LA)]

Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. & Legal Adviser